दिनांक 19.11.2026
प्रेस विज्ञप्ति 582/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मऊ/थाना दक्षिणटोला

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 18.11.2026 को थाना दक्षिणटोला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रामपुर चकिया के पास पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त सफीउद्दीन उर्फ छोटू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना दक्षिणटोला पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मऊ के विभिन्न थानों पर चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग एक दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सफीउद्दीन उर्फ छोटू निवासी खुरहट थाना रानीपुर जनपद मऊ।

बरामदगी

1–01 मोबाइल फोन।

2–01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद सहारनपुर/थाना मण्डी

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **लगभग 40 लाख रूपये कीमत की चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 19.11.2026 को थाना मण्डी व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बाबा लालादास रोड पर कब्रिस्तान के पास से 02 अभियुक्तों 1–चोना उर्फ मुजम्मिल 2–सलीम को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 40 लाख रूपये कीमत की चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना मण्डी क्षेत्रान्तगर्त अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मण्डी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त चोना उर्फ मुजम्मिल के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मण्डी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–चोना उर्फ मुजम्मिल निवासी मदीना कालोनी थाना सिविल लाईन्स मुजफ्फरनगर हालपता–गली नं0–11 पयरो वाला मोहल्ला थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

2–सलीम निवासी मिलापनगर थाना कोतवाली रूडकी, उत्तराखण्ड हालपता–कठहल कालोनी खाताखेड़ी थाना मण्डी सहारनपुर।

बरामदगी

1–लगभग 40 लाख रूपये कीमत की चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि।

<u>जनपद गाजीपुर/थाना नन्दगंज</u>

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **लगभग 05 लाख रूपये कीमत की चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **30 हजार रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 19.11.2026 को थाना नन्दगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कूड़ाघर के पास से 03 अभियुक्तों 1–आशीष कुमार 2–रोहित कुमार 3–आशीष कुमार को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 05 लाख रूपये कीमत की चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण, 30 हजार रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि थाना नन्दगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नन्दगंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना नन्दगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–आशीष कुमार निवासी ग्राम धरवॉ थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर।

2–रोहित कुमार निवासी ग्राम धरवॉ थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर।

3–आशीष कुमार निवासी ग्राम धरवॉ थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 05 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–30 हजार रूपये नगद।

3–02 मोबाइल फोन।

4–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

जनपद शामली/थाना कांधला

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 15 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 18/19.11.2026 की रात्रि थाना कांधला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम असदपुर–जिड़ाना नहर पटरी से 02 अभियुक्तों 1–मोहित 2–रवि कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 15 दो पहिया वाहन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त मोहित के विरूद्ध जनपद शामली के विभिन्न थानों पर लूट, वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट, गैगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग व अभियुक्त रवि कुमार के विरूद्ध जनपद शामली के थाना कांधला पर वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कांधला पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मोहित निवासी मोहल्ला रायजादगान कस्बा कांधला जनपद शामली।

2–रवि कुमार निवासी ग्राम चढ़ाव थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी

1–चोरी की 15 दो पहिया वाहन।

जनपद सहारनपुर/थाना नानौता

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ 31 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 655 ग्राम अवैध स्मैक**
- **04 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 18.11.2026 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रूहाडा पुलिया कस्बा नानौता से 04 अभियुक्तों 1–नानू उर्फ शकील 2–सय्यद शेखावत 3–मोनू उर्फ फरमान 4–अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ 31 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 655 ग्राम अवैध स्मैक, 04 मोबाइल फोन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना नानौता पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नानू उर्फ शकील निवासी ग्राम हरपाल थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।

2–सय्यद शेखावत निवासी ग्राम कुम्हारहेडा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

3–मोनू उर्फ फरमान निवासी शेखपुरा कदीम थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

4–अभियुक्ता ।

बरामदगी

1–लगभग 01 करोड़ 31 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 655 ग्राम अवैध स्मैक।

2–04 मोबाइल फोन।

- **जनपद एटा/थाना अवागढ़ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 80 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना अवागढ़ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त ओमवीर को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 80 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना जहांगीराबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना जहांगीराबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 377/511 भादवि व 4/18 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त कादिर को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

दिनांक 19.11.2026
प्रेस विज्ञप्ति 583 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने तकनीकी आधुनिकीकरण, साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल पुलिसिंग को सुदृढ़ बनाने हेतु तीन प्रमुख संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए

माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता एवं तकनीक आधारित प्रशासनिक व्यवस्था को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, **श्री राजीव कृष्णा** के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश पुलिस को आधुनिक, तकनीक-सक्षम, सुरक्षित एवं डेटा आधारित पुलिस संगठन के रूप में विकसित करने के लिए तकनीकी आधुनिकीकरण एवं नवाचार पर विशेष बल देते हुए **इसे अपनी 10 प्राथमिकताओं में सम्मिलित किया गया** है।

इसी दिशा में आज उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा देश के **तीन प्रतिष्ठित संस्थानों—भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), कानपुर; डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (DIC), भारत सरकार; तथा Protean eGov Technologies Limited—के साथ तीन महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर** किए गए।

इन समझौतों का उद्देश्य पुलिस की तकनीकी क्षमताओं को सुदृढ़ करना, साइबर सुरक्षा एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एवं अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग बढ़ाना, विभिन्न पुलिस प्रणालियों के बीच सुरक्षित डेटा आदान-प्रदान सुनिश्चित करना तथा नागरिकों को उपलब्ध डिजिटल सेवाओं को अधिक सुगम, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाना है।

1. आईआईटी कानपुर के साथ समझौता—साइबर सुरक्षा, अनुसंधान एवं उन्नत प्रौद्योगिकी

आईआईटी कानपुर के साथ समझौते के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस साइबर सुरक्षा, साइबर फॉरेंसिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा नवीन तकनीकों के अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्रों में सहयोग करेगी। इसमें पुलिस की डिजिटल प्रणालियों की सुरक्षा का मूल्यांकन, साइबर खतरों की पहचान, उन्नत फॉरेंसिक तकनीकों तथा AI आधारित पुलिसिंग समाधानों का अनुसंधान एवं विकास शामिल होगा।

इसके अतिरिक्त अपराध अनुसंधान, डिजिटल साक्ष्य विश्लेषण, आधुनिक निगरानी एवं सुरक्षा तकनीकों तथा उन्नत कंप्यूटिंग क्षमताओं के उपयोग की संभावनाओं पर भी कार्य किया जाएगा। पुलिसकर्मियों के तकनीकी प्रशिक्षण, विशेषज्ञता विकास एवं संयुक्त शोध परियोजनाओं को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

इस अवसर पर आईआईटी कानपुर की ओर से प्रो. राजा अंगमुथु, एसोसिएट डीन (अनुसंधान एवं विकास), तथा डॉ. आनंद हांडा, चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर, C3iHub, की महत्वपूर्ण सहभागिता रही।

2. डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के साथ समझौता—डिजिटल पुलिसिंग एवं नागरिक सेवाओं का सुदृढ़ीकरण

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के साथ समझौते का उद्देश्य उत्तर प्रदेश पुलिस की डिजिटल सेवाओं, तकनीकी प्रणालियों एवं सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना का आधुनिकीकरण करना है।

इसके अंतर्गत नागरिक सेवाओं के डिजिटलीकरण, पुलिस की आंतरिक प्रशासनिक एवं परिचालन कार्यप्रणालियों के आधुनिकीकरण, डिजिटल प्लेटफॉर्मों के विकास तथा विभिन्न सरकारी तकनीकी प्रणालियों के बीच समन्वय एवं एकीकरण पर सहयोग किया जाएगा।

इस पहल से नागरिकों को पुलिस सेवाओं तक अधिक सरल एवं सुविधाजनक पहुंच उपलब्ध कराने के साथ-साथ पुलिस की कार्यकुशलता, पारदर्शिता एवं सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पुलिस के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी, आधुनिक डिजिटल समाधान एवं नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा।

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन की ओर से श्री हरि सेवक शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट (प्रशासन), इस संस्थागत सहयोग से जुड़े प्रमुख प्रतिनिधि हैं।

3. Protean eGov Technologies Limited के साथ समझौता—डेटा प्रबंधन, डिजिटल एकीकरण एवं तकनीकी अवसंरचना

Protean eGov Technologies Limited के साथ समझौते का प्रमुख उद्देश्य उत्तर प्रदेश पुलिस की विभिन्न डिजिटल प्रणालियों के बीच सुरक्षित, प्रभावी एवं व्यवस्थित डेटा आदान-प्रदान तथा तकनीकी एकीकरण को प्रोत्साहित करना है।

इसके अंतर्गत आधुनिक डेटा प्रबंधन, विभिन्न सूचना प्रणालियों के बीच परस्पर समन्वय, डिजिटल पहचान एवं प्रमाणीकरण, डेटा सुरक्षा तथा तकनीकी मानकीकरण जैसे क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा।

इस साझेदारी से पुलिस की विभिन्न तकनीकी प्रणालियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, सूचना के अधिक प्रभावी उपयोग तथा डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। साथ ही भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सुरक्षित, विश्वसनीय एवं विस्तार योग्य डिजिटल अवसंरचना विकसित करने की संभावनाओं पर भी सहयोग किया जाएगा।

Protean की ओर से श्री राकेश रमेश दोसी, चीफ बिजनेस एवं प्रोडक्ट ऑफिसर (CBPO), इस रणनीतिक सहयोग से जुड़े प्रमुख प्रतिनिधि हैं।

<u>आधुनिक एवं भविष्य के लिए तैयार पुलिस व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम</u>

इन तीनों समझौतों के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रयास है कि तकनीकी आधुनिकीकरण केवल नए सॉफ्टवेयर एवं उपकरणों तक सीमित न रहे, बल्कि पुलिस संगठन के भीतर अनुसंधान, नवाचार, साइबर सुरक्षा, डेटा प्रबंधन एवं तकनीकी विशेषज्ञता की स्थायी क्षमता विकसित हो।

इन पहलों का समन्वय उत्तर प्रदेश पुलिस के तकनीकी सेवाएं मुख्यालय द्वारा किया जाएगा। विभिन्न परियोजनाओं को आवश्यकता, व्यवहार्यता एवं निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा।

यह पहल उत्तर प्रदेश पुलिस को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप अधिक सक्षम, सुरक्षित, पारदर्शी, नागरिक-केंद्रित एवं तकनीक-सशक्त पुलिस संगठन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

———————